इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 662] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 14, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-72-17-चौदह-3.—यत: भारत सरकार की राय में मंडी समितियों का निर्वाचन प्रदेश अल्पवर्षा से ग्रसित होने से सूखे की स्थिति के कारण नियत समय में कराना संभव नहीं है,

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वर्तमान निर्वाचित मण्डी समितियों की अवधि में वर्तमान अवधि के समाप्त होने की तारीख से छह मास की कालावधि के लिये या मण्डी समितियों के नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो, वृद्धि करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2017

क्र. डी-15-72-17-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 5th December 2017

No. D-15-72-17-XIV-3.—Whereas in the opinion of the State Government it is not possible to hold the elections of Market Committees in the stipulated time due to poor monsoon creating drought like situtaion in the State.

Now therefore, in exercise of powers conferred by proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby extend the term of present elected Market Committees for a period of six months from the date of expiry of the present term or till the new elections of Market Committees, whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.